राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़

Email:- registrar.rmpu@gmail.com

पत्रांकः आर0एम0पी0यू0/2556/2023 दिनांक–04 अक्टूबर, 2023

कार्यालय आदेश

प्रदेश के समस्त शासकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त/स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में रोवर/रेंजर्स कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू किये जाने सम्बन्धी निदेशक (उच्च शिक्षा), डिग्री विकास अनुभाग, उ0प्र0 प्रयागराज के पत्रांक–डिग्री विकास/34031/2022–23 दिनांक 14.11.2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध समस्त राजकीय महाविद्यालयों/अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में रोवर्स/रेंजर्स दलों के गठन तथा उनसे सम्बन्धित निम्नवत गतिविधियों का संचालन किया जायेगा–

1. प्रत्येक महाविद्यालय से कम से कम एक रोवर/रेंजर 24–24 की संख्या में गठन के साथ ही पंजीकरण/नवीनीकरण अनिवार्य रूप से कराया जाए।
2. प्रत्येक महाविद्यालय में रोवर/रेंजर कोष का गठन सुनिश्चित कराया जाए, जिसके अन्तर्गत महाविद्यालयों में अध्ययनरत् समस्त छात्र–छात्राओं से रू0 50/– की धनराशि प्राप्त कर रोवर/रेंजर कोष में जमा की जाए।

उपरोक्त के अनुक्रम में प्रादेशिक मुख्यायुक्त, भारत स्काउट और गाइड उ0प्र0 के पत्रांकः MG–30B/567/2023–24 दिनांक 05.07.2023 द्वारा समस्त विश्वविद्यालय, उ0प्र0 को भारत स्काउट और गाइड राष्ट्रीय मुख्यालय, नई दिल्ली के नियम संख्या–90 के अन्तर्गत जिला संस्था का दर्जा दिया गया है। प्रत्येक छात्र/छात्राओं से वार्षिक 50/– रू की दर से प्राप्त शुल्क को विभिन्न संस्थाओं में निम्न विवरणानुसार वितरित किये जाने का निर्देश है–

1. विश्वविद्यालय कैम्पस/महाविद्यालय स्तर 50% (रू0 25/– छात्र/छात्रा)
2. विश्वविद्यालय जिला संस्था 20% (रू0 10/– छात्र/छात्रा)
3. प्रादेशिक मुख्यालय भारत स्काउट और गाइड उ0प्र0 30% (रू 15/–छात्र/छात्रा)

उपरोक्तानुसार एकत्रित धनराशि को विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/जिला संस्था स्तर पर गठित रोवर/रेंजर कोष में जमा किया जायेगा, जिससे सभी स्तरों पर विभिन्न गतिविधियों के सफल संचालन के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध रहे।

अतः प्रादेशिक मुख्यायुक्त, भारत स्काउट और गाइड, उ0प्र0 के पत्रांक–सी0जी0–105/172/202 दिनांक 30.04.2022 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए विश्वविद्यालय एवं समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों में रोवर/रेंजर की गतिविधियों को क्रियाशील बनाने के संदर्भ में उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्नक– प्रादेशिक मुख्यालय, उ0प्र0 के पत्रांक–
MG–30B/567/2023–24 दिनांक 05.07.2023

डॉ0(महेश कुमार)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. मा0 कुलपति जी, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
2. वित्त अधिकारी, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी (आगरा/अलीगढ़ मण्डल), आगरा।
4. प्रादेशिक मुख्यायुक्त, भारत स्काउट और माइड, उ0प्र0।
5. प्रभारी वेबसाइट को इस निर्देश के साथ कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर तत्काल अपलोड करें।

सहा0कुलसचिव

Scanned with CamScanner

भारत स्काउट एण्ड गाइड, उत्तर प्रदेश

प्रादेशिक प्रधान कार्यालय : स्काउट भवन, मोती मार्ग, महानगर, लखनऊ 226006
रजिस्ट्रेशन संख्या एस०-1-9407/1959-1960
E-mail : upscoutsguides@yahoo.com, Website : www.bsgup.org
फोन : 0522-4325838, मो० नं० : 9839391178

G20

पत्रांक संख्या - M.G-30B/ 567 /2023-24 दिनांक 05.07.2023

समस्त सहायक प्रादेशिक संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड)
भारत स्काउट और गाइड, उत्तर प्रदेश।

विषय–प्रादेशिक अंशदान भेजने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

प्रादेशिक मुख्यालय के एतद् विषयक पत्रांक एम०जी०–30 बी/2153/2022–23 दिनांक 22.03.2023 का संदर्भ ग्रहण करें, जो कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0 एवं समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी उ0प्र0 को सम्बोधित तथा आपको पृष्ठांकित है, जिसके द्वारा राजकीय महाविद्यालयों/अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों एवं स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में रोवर्स/रेंजर्स दलों के गठन तथा उनसे सम्बन्धित गतिविधियों के संचालन हेतु निम्नवत निरन्तर निर्देश दिये गये थे :–

(1) प्रत्येक महाविद्यालय को कम से कम 24–24 की संख्या में एक–एक रोवर्स क्रयू–रेंजर्स टीम के गठन के साथ ही पंजीकरण/नवीनीकरण अनिवार्य रूप से कराया जाए।

(2) प्रत्येक महाविद्यालय में रोवर्स/रेंजर्स कोष का गठन सुनिश्चित कराया जाए, जिसके अन्तर्गत महाविद्यालयों में अध्ययनरत समस्त छात्र-छात्राओं से रू. 50/– की धनराशि प्राप्त कर रोवर्स/रेंजर्स के फण्ड में जमा की जाए।

(3) वार्षिक रू. 50/ की दर से प्राप्त शुल्क को विभिन्न संस्थाओं में निम्न विवरणानुसार वितरित किये जाने के निर्देश भी दिये गये है :–

(1)विश्वविद्यालय कैम्पस/महाविद्यालय स्तर – 50 प्रतिशत (रू0 25 प्रति छात्र/छात्रा)
(2)विश्वविद्यालय जिला संस्था – 20 प्रतिशत (रू0 10 प्रति छात्र/छात्रा)
(3)प्रादेशिक मुख्यालय, भारत स्काउट/गाइड, उ0प्र0– 30 प्रतिशत (रू0 15 प्रति छात्र/छात्रा)

2. रू0 50/ प्रति रोवर्स/रेंजर्स/रेंजर्स की दर से प्राप्त शुल्क में से 30 प्रतिशत(रू0 15 प्रति छात्र/छात्रा) प्रादेशिक मुख्यालय के खाते में चल वित्तीय वर्ष (2022–23) की समाप्ति से पूर्व निम्नानुसार भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था–

खातेदार का नाम	–	प्रादेशिक सचिव, उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड
खाता संख्या	–	10122401342
बैंक का नाम	–	भारतीय स्टेट बैंक
शाखा का नाम	–	स्काउट भवन, लखनऊ
IFSC Code	–	SBIN0006144

3. उक्त के अनुपालन में अभी तक केवल प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भैया) विश्वविद्यालय प्रयागराज द्वारा प्रादेशिक मुख्यालय भारत स्काउट और गाइड, उ0प्र0 को 30 प्रतिशत धनराशि प्राप्त हुई है।

कृपया अवशेष सम्बन्धित विश्वविद्यालय से रोवर/रेंजर शुल्क का प्रादेशिक अंशदान भिजवाने की दिशा में सम्बन्धित कुल सचिव से सम्पर्क करके कृत कार्यवाही से सूचित करना सुनिश्चित करें।

(आनन्द सिंह रावत)
प्रादेशिक सचिव
5.7.2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ :–

1–प्रादेशिक मुख्यायुक्त, भारत स्काउट और गाइड, उ0प्र0।
2–प्रादेशिक आयुक्त (स्काउट/गाइड), भारत स्काउट और गाइड, उ0प्र0।
3–प्रादेशिक संगठन/प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट/गाइड), भारत स्काउट और गाइड, उ0प्र0।
4–कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
5–समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

Scanned with CamScanner